

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 01/10/20

विषय- कारा विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹36,00,363/- (छत्तीस लाख तीन सौ तिरसठ रुपये) मात्र मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

विभिन्न कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में कारा विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹36,00,363/- (छत्तीस लाख तीन सौ तिरसठ रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, मधुबनी	34214	Construction of 198 Capacity male Prisoner Barrack(G+2) in the campus of Mandal Kara, madhubani	13803/ 20.12.22	₹ 31,13,321 /- (इकत्तीस लाख तेरह हजार तीन सौ इक्कीस रुपये)
2	भवन प्रमंडल, नवादा	34336	barbed wire fencing at east and north side outer boundary of Mandal Kara Nawada	2093/ 20.03.26	₹ 4,87,042/- (चार लाख सत्तासी हजार बयालीस रुपये)
कुल राशि					₹ 36,00,363/-

(छत्तीस लाख तीन सौ तिरसठ रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य भवन-लघुशीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0105-केन्द्रीय/मंडल/ उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग) विपत्र कोड-03-4059600510105 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 9317 (1)

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी /कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।